आनंदमः जुर्माना भरकर कैदियों को अतिरिक्त सजा से बचा रहे आनंदक

मंडे पॉजिटिव

दुआओं के घर से मिल रही मदद
चंदा कर एकत्रित कर रहे राशि

भास्कर न्यूज, मंडला|

आनंदम् दुआओं के घर से हर जरूरमंद को मदद मिल रही है। यहां कपड़ा से लेकर हर उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी बीच आनंदम के आनंदकों के द्वारा नई पहल शुरू की गई है। जिसमें कैदी का जुर्माना जमा कर अतिरिक्त कारावास से बचाया जा रहा है। आनंदक चंदा से राशि एकत्र करने के बाद जुर्माना जमा कर रहे है। जानकारी के मुताबिक राज्य आनंद संस्थान अध्यात्म विभाग के द्वारा आनंदम का संचालन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। मंडला जिले में दुआओं के घर(आनंदम) से हर जरूरत मंद को मदद मिल रही है। यहां दूर-दूर से गरीब आकर कपड़ा, बर्तन, अध्ययन सामग्री और अन्य जरूरत की सामग्री ले जा रहे है। यहां आने वाले गरीबों को मदद मिल रही है। इसी बीच आनंदम के आनंदकों के द्वारा नई पहल की गई है। जिसमें जेल में निरुद्ध ऐसे कैदियों की मदद की जा रही है, जो अपनी सजा काट चुके है। लेकिन जुर्माना की राशि जमा नहीं कर पाने के कारण अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत रहे है। जिन कैदियों की जुर्माना की राशि कोई जमा नहीं करता है। ऐसे कैदियों की जुर्माना की राशि आनंदकों के द्वारा जमा की जा रही है।

2000 रुपए दिए

मूले सिंह पिता अमरु सिंह को 5 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया था, मूले सिंह अपनी 5 वर्ष की सजा काट चुका था, लेकिन जुर्माना की राशि जमा नही होने के कारण 3 वर्ष 9 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ती। आनंदकों के द्वारा 2 हजार रुपए का जुर्माना जमा कराया गया है। जिसके बाद मूलेसिंह को अतिरिक्त सजा नहीं काटनी पड़ी है।

4000 जमा कराए

कमलसिंह पिता दादूलाल को 5 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया गया था। कमल अपनी सजा काट चुका था। जुर्माना जमा नही होने की स्थिति मे कमल को 5 वर्ष 10 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ती। जुर्माना की राशि 4 हजार रुपए आनंदकों के द्वारा जमा करा दी गई। जिससे कमल को अतिरिक्त कारावास नही भुगतना पड़ा है।

मदद के लिए चंदा एकत्र करते है

आनंदक जरूरतमंद बेसहारा और दिव्यांग की मदद के लिए चंदा एकत्र करते है। अब जुर्माना की राशि जमा नहीं कर पाने वाले कैदियों की मदद की चंदा एकत्र कर की जा रही है। अभी तक 5 कैदियों की जुर्माना राशि जमा कर आनंदक अतिरिक्त सजा से बचा चुके है। चंदा एकत्र करने में मंडला जिले के अलावा अन्य जिलों के आनंदक भी शामिल रहते है। सीईओ राज्य आनंद संस्थान समेत अन्य आनंदक सहयोग करते है।

इनका कहना है

जुर्माना की राशि, परिजन, एडवोकेट या अन्य कोई सामाजिक संस्था जमा कर सकती है। जुर्माना की राशि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी जमा कराई जा रही है।
अनिल अग्रवाल, जेलर जिला जेल

दुआओं के घर से हर जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है, जुर्माना जमा करने में अक्षम कैदियों की जुर्माना की राशि चंदा कर जमा की जा रही है जिससे उन्हें अतिरिक्त सजा नहीं काटनी पड़े।
विष्णु सिंगौर,
जिला संपर्क व्यक्ति आनंदम